ओआईएच

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2758

दिनांक 04 अगस्त, 2026

कृषि विज्ञान केंद्रों का कार्यकरण

2758. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के कार्यकरण की निगरानी/समीक्षा की जा रही है;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए परिणामों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उन केंद्रों के नाम क्या हैं, जहां अनियमितताएं पाई गई हैं; और
(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) एवं (ख) : जी, हां। देश में कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के कार्यों को नियमित रूप से मॉनिटर/पुनरीक्षित किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्रों की मॉनिटरिंग एवं पुनरीक्षण, एक सशक्त प्रणाली है जो इन्हें जिला स्तर पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का जीवंत एवं प्रभावी संस्थान बनाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR); कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (ATARI); कृषि विश्वविद्यालय; एवं प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा क्रमश: राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर नियमित रूप से कृषि विज्ञान केंद्रों की मॉनिटरिंग एवं पुनरीक्षण किया जाता है। पंचवार्षिक समीक्षा दल (QRT) एवं तृतीय पक्ष द्वारा भी सामयिक अंतराल पर कृषि विज्ञान केंद्रों के निष्पादन और कार्यों की समीक्षा की जाती है।

कृषि विज्ञान केंद्रों का नवीनतम निष्पादन मूल्यांकन वर्ष 2025-26 में नीति (NITI) आयोग द्वारा किया गया था। उनकी रिपोर्ट केवीके नेटवर्क को देश के सबसे बड़े और सर्वाधिक विकेंद्रीकृत लोक कृषि विस्तार प्रणाली के रूप में बताती है। केवीके का अपना एक सशक्त संस्थागत फ्रेमवर्क है जो स्पष्ट अधिदेशों वाला है और जिसकी जिला स्तर पर मौजूदगी है और इस प्रकार यह किसानों की तकनीकी आवश्यकताओं का समाधान करने में अत्यधिक प्रभावी है। केवीके द्वारा आगे बढ़ाई गई नई पद्धतियों अथवा प्रौद्योगिकियों को लगभग 91% किसानों द्वारा अपनाया गया है, जो यह दर्शाता है कि केवीके प्रशिक्षण और परामर्श सफल अंगीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। प्रौद्योगिकी प्रमाणीकरण, प्रसार और हस्तांतरण के माध्यम से केवीके फसल प्रबंधन, नाशीजीव और रोग नियंत्रण, इनपुट चयन, और जलवायु संबंधी जोखिम प्रबंधन पर भरोसेमंद एवं वैज्ञानिक दृष्टि से सही परामर्श प्रदान करते हैं। राज्य कृषि विभागों एवं संबद्ध एजेंसियों के साथ इनका घनिष्ठ सहयोग विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ बनाता है, जो प्रदर्शनों, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहलों द्वारा होता है। इसके अलावा, किसान केवीके परामर्शों, गुणवत्तापूर्ण बीज एवं रोपण सामग्री पर व्यापक रूप से भरोसा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्नत कृषि पद्धतियों को अधिकता से अपनाया जाता है और उन्नत कृषि निष्पादन होता है।

विगत तीन वर्षों के दौरान केवीके के प्रयासों के कुछ प्रमुख परिणाम निम्नानुसार हैं :

- उन्नत खेत प्रौद्योगिकियों की उत्पादन क्षमता और किसानों द्वारा इनके अपनाए जाने को दर्शाने के लिए किसानों के खेतों पर 9.67 लाख अग्र-पंक्ति प्रदर्शन (FLD) संचालित किए गए।
- ग्रामीण युवाओं सहित 62.35 लाख किसानों और 5.06 लाख विस्तार कार्मिकों को उनकी जानकारी एवं कौशल में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण दिया गया। बड़ी संख्या में विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से 826.61 लाख किसानों और अन्य हितधारकों के बीच उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी पर चेतना सृजित की गई।
- महत्वपूर्ण संसाधनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंगीकरण में तेजी लाने के लिए KVK ने विभिन्न खेत फसलों की उन्नत किस्मों के 5.95 लाख क्विंटल गुणवत्तायुक्त बीज और विभिन्न बागवानी फसलों की 1518.90 लाख रोपण सामग्री उत्पादित की।
- फसल अवशिष्ट प्रबंधन पहल के तहत कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा प्रदान की गई जागरूकता, तकनीकी हस्तक्षेप और सुगम नीतिगत अभिसरण एक सफलता का द्योतक है क्योंकि आग लगने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी विशेषकर पंजाब एवं हरियाणा में (2020 एवं 2025 के बीच दोनों में 95%) आई है।

(ग) एवं (घ) : विगत पांच वर्षों में सिहोर, विदिशा, औरिया, गुंटूर तथा थंजावुर जिलों में स्थापित किए गए पांच कृषि विज्ञान केन्द्रों में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की पहचान की गई है। इस संबंध में सुधारात्मक कार्यवाही की गई है और संबंधित मेजबान (होस्ट) संगठनों से इन जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र हटा लिए गए हैं।
